



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 नवम्बर, 2024

सप्तदश विधान सभा
त्रयोदश सत्र

सोमवार, तिथि 25 नवम्बर, 2024 ई०
04 अग्रहायण, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11:00 बजे पूर्वाहन)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगान)

प्रारम्भिक संबोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा के इस त्रयोदश सत्र में आप सबों का स्वागत है। वर्तमान सत्र में कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं। इसमें प्रश्न एवं लोक महत्व की सूचनाओं के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन होगा। राजकीय विधेयक भी लिये जायेंगे तथा गैर सरकारी संकल्प की सूचना भी निपटाए जायेंगे।

माननीय सदस्यगण, संसदीय प्रणाली लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह शक्ति के विकेन्द्रीकरण, जनता की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसमें विधायकों की भूमिका एक सेतु की तरह होती है जो जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करती है। सदन में विचार-विमर्श का मुद्दा लोकतंत्र की बुनियादी संरचना और उसके सुचारू संचालन में निहित है। यह महज एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है। यह समाज को न्याय, समानता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का आधार प्रदान करती है। ऐसे में सदन में विचार-विमर्श प्रभावी और समावेशी बनाना यह हम सभी प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। हमलोगों ने एक मजबूत संसदीय प्रणाली विकसित की है। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित है, यह संतुलन स्थापित हुआ है हमारे संविधान से। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल ही संविधान दिवस भी है। आप अवगत होंगे कि 26 नवम्बर, 1949 को देश ने अपने संविधान को अपनाया था। हमारा संविधान न केवल एक दस्तावेज है बल्कि हमारे देश की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतीक भी है। एक तरफ यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है तो दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी कराता

है। हमें संविधान के मूलभूत आदर्शों को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यगण, मैंने यह महसूस किया है कि सदन में वाद-विवाद का स्तर कभी-कभी व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में सिमट जाता है इससे बचने की जरूरत है। कुछ हद तक तो इसे प्रक्रिया, नियमों के बजाय आत्मसंयम से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आप इसका ख्याल रखेंगे तो सदन में वाद-विवाद का स्तर भी बढ़ेगा और इससे आमजन के अधिक-से-अधिक हितों का हल साधा जा सकेगा। आप सबों से अनुरोध है कि सत्र में सदन के समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्र संचालन में आप सबों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा।

शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।
सभा सचिव।

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल, बिहार से प्राप्त संदेश को मैं पढ़ती हूँ :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद-188 द्वारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, श्री नन्दकिशोर यादव को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष, बिहार विधान सभा उप-निर्वाचन, 2024 में बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-196-तरारी, 203-रामगढ़, 227-इमामगंज(अ०जा०) एवं 232-बेलागंज से निर्वाचित सदस्यगण, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे।

पटना,
दिनांक- 24.11.2024

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
राज्यपाल, बिहार।”

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शपथ/प्रतिज्ञान की प्रति आपके सामने है। जब आप पुकारे जायें, तब आपको उसे पढ़ना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है।

अब सभा सचिव नाम पुकारेंगी।

सभा सचिव : निर्वाचन क्षेत्र संख्या-196, तरारी, श्री विशाल प्रशांत।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, उन्होंने सूचना दी है कि वे कल शपथ लेंगे। आगे बढ़िये।

सभा सचिव : निर्वाचन क्षेत्र संख्या 203, रामगढ़, श्री अशोक कुमार सिंह

<u>निर्वाचन क्षेत्र सं0 एवं नाम</u>	<u>माननीय सदस्य का नाम</u>	<u>शपथ/प्रतिज्ञान</u>
203-रामगढ़	श्री अशोक कुमार सिंह	शपथ

सभा सचिव: निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 227, इमामगंज(अनु०जा०), श्रीमती दीपा कुमारी

<u>निर्वाचन क्षेत्र सं0 एवं नाम</u>	<u>माननीय सदस्य का नाम</u>	<u>शपथ/प्रतिज्ञान</u>
227-इमामगंज(अनु०जा०)	श्रीमती दीपा कुमारी	शपथ

सभा सचिव: निर्वाचन क्षेत्र संख्या- 232, बेलागंज, श्रीमती मनोरमा देवी

<u>निर्वाचन क्षेत्र सं0 एवं नाम</u>	<u>माननीय सदस्य का नाम</u>	<u>शपथ/प्रतिज्ञान</u>
232-बेलागंज	श्रीमती मनोरमा देवी	शपथ

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शपथ/प्रतिज्ञान की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

टर्न-2/संगीता/25.11.2024

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12(1) के अधीन निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ :-

1. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0
2. श्री दामोदर रावत, स0वि0स0
3. श्री विजय शंकर दूबे, स0वि0स0
4. श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0
5. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0

समितियों का गठन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र के लिए कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ:-

कार्य-मंत्रणा समिति

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| 1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा | - | सभापति |
| 2. श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री | - | सदस्य |
| 3. श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री | - | सदस्य |

4. श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री	-	सदस्य
5. श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य	-	सदस्य
6. श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा	-	सदस्य
7. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल	-	सदस्य
8. श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0	-	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री नरेन्द्र नारायण यादव, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा
2. श्री आलोक कुमार मेहता, स0वि0स0
3. श्री महबूब आलम, स0वि0स0
4. श्री राम रतन सिंह, स0वि0स0
5. श्री अजय कुमार, स0वि0स0
6. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

औपचारिक कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सप्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खंड-2(क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 07 (सात) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूँ जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-200 के तहत अनुमति प्रदान की गयी है :-

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024	05.08.2024
2.	बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024	05.08.2024
3.	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	05.08.2024

4.	बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024	05.08.2024
5.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	05.08.2024
6.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024	05.08.2024
7.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	06.08.2024

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 2024-25 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में, मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ।

शोक-प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है :-

स्वर्गीय खालिद अनवर अंसारी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री खालिद अनवर अंसारी का निधन दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी।

स्वर्गीय अंसारी रोहतास जिला के डिहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 एवं 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य तथा वर्ष 2000 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वर्गीय ब्रज किशोर सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री ब्रज किशोर सिंह का निधन दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 87 वर्ष की थी।

स्वर्गीय सिंह पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में बिहार विधान सभा के सदस्य एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1986 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री भी रहे थे। वे लोकप्रिय समाजसेवी थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वर्गीय जय प्रकाश मिश्र

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जय प्रकाश मिश्र का निधन दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी।

स्वर्गीय मिश्र बांका जिला के कटोरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव का निधन दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी।

स्वर्गीय यादव मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1986 के उपचुनाव एवं वर्ष 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में राज्यमंत्री भी रहे थे। वे सहदयी एवं समाजसेवी थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वर्गीय श्रीनारायण यादव

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्रीनारायण यादव का निधन दिनांक 12 नवम्बर, 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 87 वर्ष की थी।

स्वर्गीय यादव बेगुसराय जिला के बलिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 एवं साहेबपुर कमाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2014 के उपचुनाव तथा वर्ष 2015 में बिहार विधान सभा के सदस्य

निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय सधनु भगत

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सधनु भगत का निधन दिनांक 13 नवम्बर, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय भगत संयुक्त बिहार के लोहरदगा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टर्न-3/सुरज/25.11.2024

स्वर्गीय मुंशी चौधरी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मुंशी चौधरी का निधन दिनांक 16 नवम्बर, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 92 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय चौधरी पटना जिला के पुनपुन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे एक कुशल समाजसेवी थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय छत्रुराम महतो

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री छत्रुराम महतो का निधन दिनांक 17 नवम्बर, 2024 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय महतो संयुक्त बिहार के गोमिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977, 1980 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुःखी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा।

अब सभा की बैठक, मंगलवार दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित की जाती है।